न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर
पीठासीन अधिकारी – श्री रवीन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

मुकदमा नं. 01/2018

प्रार्थीगण –

1. राजू पुत्र हरीराम जाति नाई
2. रोहित पुत्र राजू जाति नाई
3. पुष्पा पुत्री हरीराम जाति नाई
4. पिस्तादेवी पुत्री रामसुख जाति नाई
5. भंवरीदेवी पुत्री रामसुख जाति नाई।

निवासीगण–जायल तहसील जायल जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. श्याम सुन्दर पुत्र हरीराम दत्तक पुत्र (रिकर्ड गाफिक) रामसुख जाति–नाई
2. संगीता पत्नि रागप्रसाद जाति–जाट निवासी जायल
3. भंवरी देवी पत्नी ओगप्रकाश जाति जाट (लोमरोड़) निवासी जायल
   निवासीगण जायल तहसील जायल जिला–नागौर
4. उप पंजीयक जायल
5. तहसीलदार जायल
6. मैनेजर भूमि विकास बैंक नागौर।
7. मैनेजर आई.सी.आई.सी.आई. बैंक रेल
8. मैनेजर एन.सी.सी. बैंक जायल
9. चैनी पुत्री हरीराम जाति नाई निवासी जायल तहसील जायल जिला–नागौर
10. पप्पूदेवी पुत्री हरीराम जाति नाई निवासी जायल तहसील जायल जिला–नागौर
11. धनवंतरी पुत्री हरीराम जाति नाई निवासी जायल तहसील जायल जिला–नागौर

<u>प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आदेश 39 नियम 1, 2 सी.पी.सी.</u>

1. अधिवक्ता मुकेश कुमार बिड़ीयासर, प्रार्थीगण की ओर से
2. अधिवक्ता श्री बस्तीराम ढाका अप्रार्थी सं. 1, 2 की ओर से
3. अप्रार्थी संख्या 4 व 5 उपस्थित।
4. अप्रार्थी संख्या 3, 6 से 11 परफोर्मा पक्षकार।

26/02/2020
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

– : : आदेश : :–

1. प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता के एक प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में वंशावली दर्शाते हुये पेश किया। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में बताया कि प्रार्थीगण के पुश्तैनी बढेर के खातेदारी खेत ग्राम–जायल तहसील जायल में खसरा नं. 1346, 1348, 2726 के रूप में स्थित है। उक्त तमाम खेत अविभक्त है। जिसमें से अविभक्त हिस्सा की बैचान रजिस्ट्री अप्रार्थी संख्या 2 को कर दी गई है, जिसके कारण अप्रार्थी संख्या 2 उक्त विक्रय भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है। मुतदाविया खेताय की भूमि में खसरा नं. 1346 व 1348 की खातेदारी हरीराम पुत्र चुनाराम के नाम है, जो दिनांक 09.009.2016 को फौत हो चुके है, जिनका फौतगी नामान्तरकरण नहीं भरा गया है। इसी प्रकार खेत खसरा नं. 2726 की खातेदारी प्रार्थी सं. 1 कमला पत्नी हरीराम व अप्रार्थी सं. 3 भंवरी (प्रार्थी सं. 2 की दादी) के नाम दर्ज है। उक्त समस्त खेताय विभिन्न बैंको के अधीन रहन दर्ज है। मुतदाविगा खेताय की भूमि पुश्तैनी बढेर की होने से प्रार्थीगण संख्या 1 से 5 सहखातेदार दर्ज होने के अधिकारी है तथा कब्जा काश्त के अनुसार अपना हिस्सा पृथक कराने के भी अधिकारी है। विवादग्रस्त खेतायों में से अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अविभक्त खेत खसरा नं. 1346 व 1348 की भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि का बैचान जरिये रजिस्ट्री अप्रार्थी सं. 2 संगीता के पक्ष में कर दिया है तथा अप्रार्थी संगीता व उसके परिवार वाले मनवाहे भाग पर कब्जा करना चाहते है। जिस कारण प्रार्थीगण को उनका हिस्सा मिलने से पहले ही प्रभावित हो गया, क्योंकि पूर्व में अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थी सं. 4 व 5 जो कि स्व. रामसुख की पुत्रियां थी को बिना पक्षकार बनाये राजस्व वाद जरिये रामसुख का गौद पुत्र बताते हुये सहायक कलक्टर जायल से बाला–बाला डिक्री प्राप्त कर ली। खातेदारी की आड़ में अप्रार्थी संगीता व उसके परिवार वाले प्रार्थी संख्या 4 व 5 को बेदखल करने पर आमादा, जबकि प्रार्थी संख्या 4 व 5 का उक्त भूमि में हिस्सा व अधिकार है। यदि अप्रार्थी ऐसा करने में सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण का अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रथम दृष्टयां मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है। अतः अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 4 व 5 को ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे मौजा जायल तहसील जायल के उपरोक्त विवादित खसरान की भूमि का बैचान,

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

हस्तान्तरण रहन, बक्सीस, गिरवी, पंजीयन आदि नहीं करे, तथा मुतदाविया 1346, 1348, 2726 खेताय की भूमि पर कब्जा मूल वाद में विधिवत् बंटवारा नहीं होने तक नहीं करे।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी ने हस्तगत प्रकरण में एक पक्षीय हेतु निवेदन कि जिस पर वकील प्रार्थीगण को सुना गया तथा एक पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन वास्ते हस्तगत प्रकरण में जवाबदेही हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री बस्तीराम ढाका ने वकालात नामा पेश कर दिनांक 12.02.2020 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्या 4 व 5 जो हस्तगत प्रकरण में भूमिधारी होने के कारण पक्षकार, संयोजित किये गये जो प्रकरण में परफोर्मा पक्षकार है, तथा इन्ही पक्षकार के विरूद्ध प्रार्थीगण ने अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का अनुतोष प्रार्थना पत्र में चाहा है। शेष पक्षकारान अर्थात अप्रार्थी संख्या 3, 6, 7, 8 व 9, 10, 11 प्रकरण हाजा में परफोर्मा पक्षकार संयोजित किये जाने से इनके विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा जाने से जवाब की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से जवाब अवसर बंद किया गया।

3. प्रार्थना पत्र हाजा के संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने जवाब पेश करते हुये निवेदन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य पूरा सही होने तथा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत वाद में सफलता मिलने की कोई गुंजाईस नहीं है। मौजा जायल के खेत खसरा नं. 1346 रकबा 10.04 बीघा व खसरा नं. 1348 रकबा 2.02 बीघा में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 भाग का सहखातेदार है तथा अपना 1/2 भाग का बैचान प्रतिफल की राशि प्राप्त कर अप्रार्थी नं. 2 को कब्जा सौंप दिया है। इसी प्रकार खसरा नं. 2726 में अप्रार्थी नं. 1 सहखातेदार दर्ज है। प्रार्थी नं. 2 का हिस्सा अपने पिता राजू के बंट की भूमि में है, प्रार्थी नं. 4 व 5 का उक्त खेतो में कोई बंट नहीं है तथा ना ही कोई खातेदार है। खेत खसरा नं. 2726 में जो खातेदार है वह सही दर्ज है। प्रार्थी नं. 2, 4, 5 कोई खातेदार नहीं है। मौके पर खेतों का अलग-2 बंट किया हुआ है तथा माफिक बंट कब्जा काश्त है। इसलिए एक खातेदार के विरूद्ध गैर खातेदार किसी प्रकार की कार्यवाही नही कर सकता तथा ना ही स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है,

अप्रार्थी नं. 1 ने अप्रार्थी नं. 2 को मौजा जायल के खेत खसरा नं. 1346, 1348 में से 1/2 भाग अपने बंट व कब्जा के अनुसार ही बैचान कर कब्जा सौंपा है तथा मुतदाविया खेताया की भूमि में प्रार्थीगण संख्या 2, 4 व 5 का

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

कोई कानूनी हक व हिस्सा नहीं है, तथा खातेदार अपनी खातेदारी की भूमि को बैचान करने के लिए स्वतंत्र है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्ध प्रार्थीगण जो कि गैर खातेदार है अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं कर सकते है। इसी प्रकार प्रार्थी नं. 4 व 5 ने श्रीमान ए.सी.एम. कोर्ट जायल में एक राजस्व वाद संख्या 139/2018 व प्रा. पत्र 85/18 अनुवान भंवरी बनाम श्यामसुन्दर पेश कर रखा है, इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों, आधार व सारहीन होने से खारिज किया जावे।

उक्त चूंकि प्रकरण में मैन पार्टी संख्या 1 व 2 का जवाब पेश है तथा अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की तलबी हो चुकी है, जो कि प्रकरण में परफार्मा पक्षकार है, तथा अप्रार्थी संख्या 3, 6 से 11 जिनके विरूद्ध प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार अनुतोष नहीं चाहा गया है। इसलिए वकुलाय की सहमति पर प्रकरण वास्ते बहस हेतु नियत किया गया।

4. दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये निवेदन किया कि विवादग्रस्त खसरान् 1346, 1348, 2726 की भूमि प्रार्थीगण के पुश्तैनी बढेर की है, जो विधिवत् अविभक्त भूमि है। उक्त अविभक्त भूमि में से अप्रार्थी संख्या 1 ने 1/2 हिस्सा विशेष की भूमि का बैचान जरिये विक्रय पत्र अप्रार्थी संख्या 2 को कर दी गई है, जिसके कारण अप्रार्थी संख्या 2 उक्त हिस्सा विशेष से क्रय भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है। मुतदाविया खेताय की भूमि में खसरा नं. 1346 व 1348 की की भूमि की खातेदारी हरीराम पुत्र चुनाराम के नाम है, जिसकी दिनांक 09.009.2016 को की मृत्यु हो चुकी है, जिनका फौतगी नामान्तरकरण नहीं भरा गया है। इसी प्रकार खेत खसरा नं. 2726 की खातेदारी प्रार्थी सं. 1 कमला पत्नी हरीराम व अप्रार्थी सं. 3 भंवरी (प्रार्थी सं. 2 की दादी) के नाम दर्ज है। मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी बढेर की होने से प्रार्थीगण संख्या 1 से 5 सहखातेदार दर्ज होने के अधिकारी है तथा कब्जा काश्त के अनुसार अपना हिस्सा पृथक कराने के भी अधिकारी है साथ ही उक्त समस्त खेताय विभिन्न बैंको के अधीन रहन दर्ज है। अप्रार्थी संगीता व उसके परिवार वाले क्रय सुदा भूमि के मनचाहे भाग पर कब्जा करना चाहते है, जिस कारण प्रार्थीगण को उनका हिस्सा मिलने से पहले ही प्रभावित हो गया, क्योंकि पूर्व में अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थी सं. 4 व 5 जो कि स्व. रामसुख की पुत्रियां थी को बिना पक्षकार बनाये राजस्व वाद जरिये रामसुख का गोद पुत्र बताते हुये सहायक कलक्टर जायल से बाला-बाला डिक्री प्राप्त कर ली। प्रार्थीगण को इसकी जानकारी प्राप्त होने पर वाद न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया है, यदि अप्रार्थी

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

संख्या 1 व 2 मनचाहे भाग पर कब्जा करने में सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी।

अतः विवादग्रस्त भूमि पुश्तैनी बढेर की है जिसमें प्रार्थीगण का हक हिस्सा निहित है इसलिए प्रथम दृष्टयां मामला प्रार्थी के पक्ष मे है तथा जब तलक विधिवत् उक्त विवादग्रस्त भूमि का बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक प्रत्येक खसरे की प्रत्येक इंच भूमि पर प्रार्थीगण का हक हिस्सा निहित है इसलिए सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 मुतदाविया खेताव की भूमि जो कि अविभक्त भूमि का बैचान हस्तान्तरण करने तथा कब्जा करने में सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण को होना तय है। इसलिए प्रकरण हाजा मे दिनांक 17.01.2018 को अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 4 व 5 के विरूद्ध जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला बाद पुख्ता किया जावे

5. वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र के संबंध में दी गई दलीलों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि मौजा जायल तहसील जायल के खेत खसरा नं. 1346 रकबा 10.04 बीघा व खसरा नं. 1348 रकबा 2.02 बीघा में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 भाग का सहखातेदार है तथा अपना 1/2 भाग का बैचान प्रतिफल की राशि प्राप्त कर अप्रार्थी नं. 2 को कब्जा सौंप दिया है। इसी प्रकार खसरा नं. 2726 में अप्रार्थी नं. 1 अप्रार्थी संख्या 2 सहखातेदार दर्ज है। प्रार्थी नं. 2 का हिस्सा अपने पिता राजू के हक बंट की भूमि में है. प्रार्थी नं. 4 व 5 का उक्त खेतो में कोई बंट नही है तथा ना ही उक्त पक्षकार मुतदाविया खेतायों की भूमि खातेदार है। प्रार्थी नं. 2, 4, 5 कोई खातेदार/काश्तकार नही है। मौके पर खेतों का अलग-2 बंट किया हुआ है तथा माफिक बंट कब्जा काश्त भी है. अप्रार्थी नं. 1 ने अप्रार्थी नं. 2 को मौजा जायल के खेत खसरा नं. 1346, 1348 में से 1/2 भाग अपने बंट व कब्जा के अनुसार ही बैचान कर कब्जा सौंपा है। एक खातेदार अपनी खातेदारी की भूमि को बैचान करने में स्वतंत्र है। एक खातेदार के विरूद्ध कोई गैर खातेदार किसी प्रकार की कार्यवाही नही कर सकता तथा ना ही स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

मुतदाविया खेताव की भूमि में प्रार्थीगण संख्या 2, 4 व 5 का कोई कानूनी हक व हिस्सा नहीं है। प्रार्थी नं. 4 व 5 ने श्रीमान ए.सी.एम. कोर्ट जायल में एक राजस्व वाद संख्या 139/2018 व प्रा. पत्र 85/18 अनुवान भंवरी बनाम श्यामसुन्दर पेश कर रखा है. इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों, आधार व सारहीन होने से खारिज किया जावे।

6. पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड, वकुलाय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। अधिवक्तागण की दलीलों एवं बहस पर मनन किया गया, जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 श्यामसुन्दर दत्तक पुत्र स्वरामसुख मुतदाविया खेत खसरा नं. 1346, 1348 की भूमि में हरिराम पुत्र चुनीलाल के साथ 1/2 हिस्से की भूमि सहखातेदार दर्ज है तथा खसरा नं. 2726 रकबा 31.16 बीघा में भी 1/2 हिस्सा अर्थात 15.08 बीघा का खातेदार दर्ज है।

इसी प्रकार विवादित खसरा नं. 1346, 1348, 2726 तथा अन्य खसरा 1341/1 की भूमि के संबंध में न्यायालय हाजा द्वारा ही प्रकरण संख्या 64/1998 अनुवान हरीराम बनाम भंवरलाल वगैरह दर्ज होकर विवादग्रस्त की भूमि में प्रार्थी के पिता हरिराम व अप्रार्थी संख्या 1 के शामलाती हक हिस्से में डिक्री आदेश/निर्णय दिनांक 26.02.1999 के घोषित किया गया है तथा माफिक डिक्री आदेश के नामान्तरकरण संख्या 1892/26.051999 के स्वीकृत किया गया। इसी प्रकार ग्राम जायल तहसील जायल की वर्तमान खतौनी संख्या 141 (पुरानी 1810) में वर्णित खसरा नं. 2627 रकबा 31.16 बीघा में से रकबा 12 बीघा का खातेदारी कमलादेवी पत्नी हरिराम के हिस्से की भूमि एन.सी.सी. बैंक लिमिटेड शाखा जायल के नाम रहन दर्ज होने तथा उक्त खसरान की भूमि में दर्ज कमलादेवी पत्नी हरिराम जो कि प्रार्थी संख्या 1 तथा अप्रार्थी संख्या 9 से 11 के माता है, की मृत्यु (दिनांक 30.10.2016) हो जाने की पुष्टि पत्रावली में संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र से होती है।

अप्रार्थी संख्या 1 श्यामसुन्दर कुदरती पिता हरिराम दत्तक पुत्र स्व. रामसुख का हक हिस्सा 1/2 हिस्सा तथा प्रार्थी संख्या 1 से 3 तथा 9 से 11 के पिता हरीराम का 1/2 हक हिस्सा न्यायालय के पूर्ववती प्रकरण संख्या 64/1998 पारित निर्णय की पालना अनुसार दर्ज किया है। इस संबंध में यह भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 श्यामसुन्दर मुतदाविया खेताय की भूमि 1/2 हिस्सा का खातेदार न्यायालय हाजा के निर्णित प्रकरण संख्या 64/1998 दिनांक 26.02.1999 को पारित डिक्री से दर्ज हुआ है। जिसमें हरिराम एवं श्यामसुन्दर का बंटवारा हो चुका है तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद भी हो चुका है। ऐसी स्थिति में हरिराम के वंशज अप्रार्थी श्यामसुन्दर के विरूद्ध अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी विचारण न्यायालय में नहीं रहे, यदि कोई अनुतोष प्राप्त करना है तो न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल के निर्णित प्रकरण

Scanned with CamScanner

संख्या 64/1998 में पारित डिक्री/निर्णय आदेश दिनांक 26.02.1999 की अपील समक्ष न्यायालय में सुसंगत धाराओं के तहत करने को स्वतंत्र है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 4 व 5 द्वारा अन्य प्रकरण न्यायालय हाजा में चल रहा है, जिसमें केवल अप्रार्थी श्यामसुन्दर से अनुतोष चाहा गया है। अतः अप्रार्थी संख्या 4 व 5 का इस प्रकरण में स्वच्छ हाथों से नहीं आना प्रतीत होता है।

इसी प्रकार प्रार्थीगण जो प्रकरण में गैर खातेदार है तथा कोई भी गैर खातेदार, किसी रिकॉर्डेड खातेदार की खातेदारी की भूमि पर अस्थाई/स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी/हकदार नहीं है। अतः हमारी राय में उक्त प्रार्थना पत्र रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध गैर खातेदार द्वारा चाहा गया अनुतोष विधि द्वारा वर्जित होने तथा पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज योग्य पाया प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

यत् हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण को ग्राम जायल तहसील जायल के खसरा नं. 1346 व 1348 के संबंध में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 17.01.2018 को राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 के तहत अप्रार्थीगण संख्या 1 से 11 के विरूद्ध जारी की गई अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अपास्त की जाती है।

प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1, 2 सिविल प्रक्रिया संहिता खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

आदेश आज दिनांक 26/07/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

26/07/2024

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर,
जायल
जिला–नागौर

Scanned with CamScanner